

अर्धशाही पत्र: डीजी-परिपत्र- 31 2016

पुलिस महानिदेशक,


उत्तर प्रदेश।

1-बी.एन. लहरी मार्ग, लखनऊ-226001

दिनांक: लखनऊ: जून 8, 2016

जावीद अहमद,

भा०पु०से०



प्रिय महोदय,

विगत कुछ समय से यह देखा गया है कि जिला कारागार में निरूद्ध विचाराधीन कुख्यात बन्दी येन-केन प्रकारेण उपचारार्थ चिकित्सालय में भर्ती होने का प्रयास करते रहते हैं तथा चिकित्सालय में रहते हुये न केवल आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, बल्कि विरोधी पथ/साक्षीगणों आदि को धमकाने जैसे अवैधानिक कृत्य भी करते हैं। इन घटनाओं से पुलिस कर्मियों की जान जोखिम में पड़ जाती है एवं इससे आम जन मानस में पुलिस की छवि धूमिल होती है।

2. पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त/ विचाराधीन बन्दियों को पेशी पर ले जाते समय पर्याप्त सावधानी के अभाव में अभियुक्तों के भाग जाने अथवा गन्तव्य पर न जाकर इधर-उधर जाकर अपने संगी-साथियों से मिलने की घटनाएँ प्रकाश में आती हैं।

3. इसके अतिरिक्त प्रशासनिक आधार पर कतिपय कुख्यात बंदीगण को अन्यत्र जनपदों के कारागारों में स्थानान्तरित किया गया है, परन्तु उनके द्वारा अभियोग के विचारण/अन्य कारणों से उन्हें उसी जनपद में पहुँचने का प्रयास करते हैं। इससे इन्हें अन्य जनपद के कारागार में स्थानान्तरण किये जाने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। पूर्व में इस मुख्यालय स्तर से पार्श्वाकित परिपत्र निर्गत किये जा चुके हैं, एवं कानून व्यवस्था संबंधी बैठक में यह स्पष्ट निर्देश दिये जाते रहे हैं कि जब कोई दुर्दान्त अपराधी दूसरे जनपद में पेशी/इलाज के लिए भेजा जायेगा तो

परिपत्र संख्या: डीजी-04/2005	दिनांक 07.02.2005
परिपत्र संख्या: डीजी-50/2007	दिनांक 17.07.2005
परिपत्र संख्या: डीजी-58/2008	दिनांक 30.05.2008
परिपत्र संख्या: डीजी-83/2008	दिनांक 28.08.2008

अच्छी छवि वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की डियूटी लगायी जायेगी तथा संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हेतु अवगत भी कराया जायेगा। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन परिपत्रों का अनुपालन अक्षरशः नहीं किया जा रहा है।

- ऐसा प्रतीत होता है कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जितनी गम्भीरता पूर्वक डियूटी की जानी चाहिए उसका अभाव है। यह भी प्रतीत होता है कि इस कार्य हेतु सही कर्मियों का चयन नहीं किया जाता है और केवल कुछ निहित लाभ पाने के उद्देश्य से कुछ अक्षम कर्मी इस प्रकार की गंभीर डियूटी में लगा दिये जाते हैं तथा उक्त कर्मियों को सही प्रकार से ब्रीफ भी नहीं किया जाता है और न ही उन्हें कोई स्पष्ट आदेश निर्गत किये जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप वे स्वच्छन्दतापूर्वक इधर-उधर जाने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं। इसका परिणाम है कि प्रत्येक वर्ष प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में भागने की घटनायें घटित हो जाती हैं। बन्दियों के पुलिस अभिरक्षा से भागने के मामलों में नियमानुसार उनका भी दायित्व निर्धारित करके उनके विरुद्धकठोरतम कार्यवाही करने तथा ऐसे गंभीर प्रकरणों में तत्काल निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाये जाने की आवश्यकता है:-

- जिलाधिकारी एवं जेल प्रशासन से सामन्जस्य स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि यथासम्भव ऐसे बन्दियों का उपचार कारागार परिसर में स्थापित चिकित्सालय में ही किया जाए। केवल गम्भीर बीमारी की स्थिति में ही नियमानुसार उन्हें अन्य चिकित्सालय में भेजने की अनुमति दी जाए। इस सुविधा का कदापि दुरूपयोग न होने पाये।
- बन्दियों को ले जाने के लिए गार्ड स्कोर्ट रूल्स के अन्तर्गत सही संख्या में पुलिस कर्मी लगाये जाय। यह भी स्पष्ट किया जाये कि यह संख्या न्यूनतम है। यह कोई बन्दी जघन्य अपराध में लिप्त रहा है अथवा जिसके भागने की आशंका है, तो ऐसे बन्दियों के साथ पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाया जाना उचित होगा, क्योंकि गार्ड्स एवं स्कोर्ट रूल्स उस समय का है जब अभियुक्तों के हथकड़ी नहीं लगायी जाती थी व रस्सी से बाँधकर पेश किया जाता था।
- समय-समय पर एस्कोर्ट डियूटी में लगे वाहनों की आकस्मिक चेकिंग कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि डियूटी पर लगाया गया सम्पूर्ण बल उपलब्ध है।
- एस्कोर्ट डियूटी हेतु जो कर्मी लगाये जायें, उनको प्रतिसार निरीक्षक द्वारा पूर्व से भलीभांति ब्रीफ किया जाना चाहिए। प्रतिसार निरीक्षक तथा उप निरीक्षक डियूटी को स्पष्ट कर दिया जाय कि अभियुक्तों तथा कैदियों को सुरक्षित प्रस्तुत किया जाना उनका व्यक्तिगत दायित्व है।
- कर्मियों को लिखित रूप से स्पष्ट निर्देश दिये जायें, जो मूवमेन्ट आर्डर में इंगित हो। जैसे यदि बन्दी को जेल से दूसरे जनपद की जेल में ले जाना है तो किस वाहन से किस मार्ग से ले जाना है, उसको स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय। दूरी देखते हुए समय सीमा भी निर्धारित की जा सकती है। यदि यह यात्रा ट्रेन से है तो उसका उल्लेख भी स्पष्ट तौर पर किया जाय। यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाय कि किसी भी दशा में सरकारी वाहन अथवा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जैसे बस/ट्रेन के अतिरिक्त कोई अन्य वाहन प्रयोग न किया जाये।
- स्कोर्ट डियूटी में चल रहे कर्मियों को ऐसे वायरलेस सेट दिये जाने पर भी विचार किया जा सकता है जिनमें उन स्थानों की फ़ीक्वेन्सी हो, जहाँ से यह प्रस्थान कर रहे हैं और जहाँ पहुंच रहे हैं। इससे स्कोर्ट कर्मियों की लोकेशन की जानकारी बनी रहेगी तथा यह भी आवश्यकता पड़ने पर विभाग को सूचित कर सकेंगे।
- कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिये जाये कि यदि कोई बन्दी बीमारी आदि की शिकायत करता है तो उसे सबसे पहले स्थानीय थाने अथवा जी0आर0पी0 थाने पर उसे ले जायें। यदि वह गम्भीर अस्वस्थता में है तो आकस्मिक रूप से उसे अस्पताल ले जाया जा सकता है, किन्तु ऐसी स्थिति में स्थानीय पुलिस को इसकी तत्काल सूचना दी जाय।
- कर्मियों को यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाय कि वह अपराधियों को अन्य लोगों से मेल मिलाप या बात करने का अवसर न दें।
- कुछ गंभीर मामलों में जी0पी0एस0 का प्रयोग किया जाना भी उचित होगा जिससे कि जी0पी0एस0 के माध्यम से स्कोर्ट का सही पता लगाये जाने की मानीटरिंग कन्ट्रोल रूम से की जा सके।

- कैदियों की मार्गालय में पेशी हेतु आवागमन/प्रस्तुतिकरण के समय उनके सहयोगियों/सम्बन्धियों एवं अवॉचनीय तत्वों से सम्पर्क न होने पाये।
- कोई भी कैदी मोबाइल फोन का प्रयोग न करने पाये और न ही एस्कोर्ट डियूटी में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के मोबाइल से कहीं सम्पर्क कर सके। यदि मार्गालय में पेशी के समय मोबाइल फोन प्रयोग किये जाने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो सम्बन्धित दोषी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाये।
- पेशी हेतु जाने वाले अपराधियों को मार्गालय के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान यथा-होटल, अस्पताल, गेस्ट हाउस आदि पर जाने न दिया जाय व एस्कोर्ट में लगे अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्वयं ऐसे अपराधियों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे खाद्य/पेय पदार्थ/रूकने के स्थान/वाहन आदि सुविधाओं का उपभोग कदापि न किया जाय।
- किसी भी हालत में एस्कोर्ट कर्मी बन्दी को उसके घर, रिश्तेदारी या अन्य किसी स्थान पर लेकर नहीं जायेंगे और न ही आपराधिक व्यक्ति व उसके मित्रों/परिजनों द्वारा दिये गये वाहन का प्रयोग करेंगे।
- जिस न्यायालय में ऐसे बड़े अपराधी पेशी हेतु लाये जा रहे हैं, उस न्यायालय परिसर में एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा आकस्मिक चेकिंग कराकर यह देख लिया जाय कि वॉचिट तत्व पेशी के बहाने इनसे सम्पर्क तो नहीं कर रहे हैं।
- अभियुक्तों का आवागमन सामान्यतः सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच करें। अपरिहार्य परिस्थिति में यदि रात्रि में यात्रा करना आवश्यक हो तो यथासम्भव सुरक्षित पुलिस वाहन का ही उपयोग किया जाय।
- यदि किसी कारण न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व अल्प विराम की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक, प्रभारी से बात करके अभियुक्तों को थाने के लाक-अप में रखा जाय।
- यदि अभियुक्तों को रात्रि विश्राम की आवश्यकता है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित जिले की जेल में अभियुक्त को नियमानुसार दाखिल किया जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अवगत करा दें।

भवदीय,  
१८.६.१६.

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक,  
जनपद प्रभारी, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।